प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय

15-मार्च-2018 15:45 IST

अटल भुजल योजना

सरकार ने सात राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में चुनिंदा अत्यधिक शोषित और भूजल तनाव वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन के उद्देश्य से अटल भुजल योजना (एबीएचवाई) का प्रस्ताव दिया है। एबीएचवाई को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में डिजाइन किया गया है जिसमें कुल व्यय रु। 6,000 करोड़ और विश्व बैंक सहायता के साथ लागू करने का प्रस्ताव है।

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) 23 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में भूजल विकास को विनियमित कर रहा है। इन क्षेत्रों में नियामक उपायों के प्रवर्तन के लिए, संबंधित उप-आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट को 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1 9 86 की धारा 5 के तहत सीजीडब्ल्यूए के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। देश में कार्यरत अवैध खनिज पानी / शीतल पेय बोतल संयंत्रों के बारे में कोई डेटा जल संसाधन मंत्रालय, आरडी और जीआर के साथ उपलब्ध नहीं है।

देश के गतिशील भूजल स्रोतों के आकलन के अनुसार (के रूप में 31 पर सेंट केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्य भूजल विभागों, द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मार्च 2013) ओ मूल्यांकन इकाइयों के कुल 6584 संख्या (ब्लॉक / तालुका / मंडल / जल / Firkka की ut), 1034 इकाइयों को 'अत्यधिक शोषित' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नीचे दी गई तालिका में 'ओवर-शोषित' इकाइयों की राज्यवार संख्या दी गई है। यह जनसंख्या, तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और अन्य संबंधित कारकों में वृद्धि के कारण हो सकता है।

भारत में ब्लॉक / मंडलों / तालिकाओं का वर्गीकरण

(2013)

क्र। नहीं।	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	की कुल संख्या मूल्यांकन इकाइयों	ऊपर-शोषित	
			सं।	%
	राज्य अमेरिका			
1.	आंध्र प्रदेश	670	61	9

क्र। नहीं।	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	की कुल संख्या मूल्यांकन इकाइयों	ऊपर-शोषित	
			सं।	%
2.	अरुणाचल प्रदेश	1 1	0	0
3.	असम	27	0	0
4.	बिहार	534	0	0
5.	छत्तीसगढ़	146	1	1
6.	दिल्ली	27	15	56
7.	गोवा	12	0	0
8.	गुजरात	223	23	10
9.	हरयाणा	119	64	54
10.	हिमाचल प्रदेश	8	1	13
11.	जम्मू-कश्मीर	22	0	0
12.	झारखंड	260	4	2

क्र। नहीं।	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	की कुल संख्या मूल्यांकन इकाइयों	ऊपर-शोषित	
			सं।	%
13.	कर्नाटक	176	43	24
14.	केरल	152	1	1
15.	मध्य प्रदेश	313	25	8
16.	महाराष्ट्र	353	9	3
17.	मणिपुर	9	0	0
18.	मेघालय	1 1	0	0
19.	मिजोरम	22	0	0
20.	नगालैंड	1 1	0	0
21.	ओडिशा	314	0	0
22.	पंजाब	138	105	76
23.	राजस्थान	248	164	66

क्र। नहीं।	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	की कुल संख्या मूल्यांकन इकाइयों	ऊपर-शोषित	
			सं।	%
24.	सिक्किम	-	-	-
25.	तमिलनाडु	1139	358	31
26.	तेलंगाना	443	46	10
27.	त्रिपुरा	39	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	820	113	14
29.	उत्तराखंड	18	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	268	0	0
	कुल (राज्य)	**6533**	**1033**	**16**
	केंद्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान और निकोबार	34	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0

क्र। नहीं।	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	की कुल संख्या मूल्यांकन इकाइयों	ऊपर-शोषित	
			सं।	%
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
4.	दमन और दीव	2	0	0
5.	लक्षद्वीप	9	0	0
6.	पुडुचेरी	4	1	25
	कुल (यूटी)	**51**	**1**	**2**
	कुल योग	**6584**	**1034**	**16**

सीजीडब्लूए ने ड्राफ्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो 'कोई आपत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)' प्राप्त करने के लिए मौजूदा और नए उद्योग, आधारभूत संरचना और खनन परियोजनाओं को निर्धारित करता है। सीजीडब्लूए द्वारा तैयार मसौदे दिशानिर्देशों में, भूजल अमूर्तता के लिए 'कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए जल संरक्षण शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। जल संरक्षण शुल्क की दरों का प्रस्ताव ग्राउंड वॉटर सारणी, ग्राउंड वॉटर मूल्यांकन इकाई की श्रेणी और भूजल के उपयोग के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित दरों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है । भूजल रिचार्ज / जल संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संरक्षण शुल्क का उपयोग किया जाएगा।

ओ।	क्षेत्र की श्रेणी	जल संरक्षण शुल्क (रु। प्रति मीटर की दर ^{3} / दिन)			
		<500 मीटर ^{3} /	500 से <1000	1000 से <5000 मीटर	5000 मीटर ^{3}

	भूजल उपयोग	दिन	मीटर ^{3} / दिन	^{3} / दिन	/ दिन और ऊपर
1	सुरक्षित	0.90	1.00	1.10	1.20
2	अर्द्ध महत्वपूर्ण	1.00	1.10	1.20	1.30
3	गंभीर	1.10	1.20	1.30	1.40
4	अधिक शोषण	1.20	1.30	1.40	1.50

पानी एक राज्य विषय है, स्थिरता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प और संसदीय मामलों के लिए एमओएस, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

*****

एन पी / आइए